आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

वाद सं0–19/2023

08-09-2023

अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से श्री शिव प्रकाश, ग्राम+पं0–भेंडरा, प्र0–नावाडीह, जिला–बोकारो telephone के माध्यम से उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बोकारो आयोग कार्यालय में उपस्थित।

इस वाद की पिछली सुनवाई 10.07.2023 को हुई थी, जिसमें आयोग ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देश दिया था कि वो पूरे प्रकरण की जाँच कर जाँच प्रतिवेदन आयोग को भेजें। आयोग के निर्देश के आलोक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने पत्रांक–1362 दिनांक–28.07.2023 के माध्यम से अपना प्रतिवेदन आयोग को समर्पित किया है। न्याय के हित में आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा आयोग को समर्पित प्रतिवेदन की प्रति शिकायतकर्ता को भेजते हुए ये निर्देश देता है कि वो जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा समर्पित प्रतिवेदन पर अपना पक्ष दिनांक–02.10.2023 से पहले आयोग को भेजें।

मामले की अगली सुनवाई दिनांक–03.10.2023 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। दिनांक–03.10.2023 को रखें।

(शबनम परवीन)
सदस्य,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

(हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।